उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप अनुभाग-3
सख्या-07/2016/824/84-3-16-नि0-16/2004
लखनऊ :: दिनांक 11 नवम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा पी0पी0पी0 मॉडल पर प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में फैमिली बाजार के संचालन हेतु निगम स्तर से निविदा के माध्यम से व्यापारिक सहयोगी का चयन किया जाता था। उक्त प्रक्रिया में संशोधन करके समस्त जनपदों को 06 जोनो में विभक्त कर फैमिली बाजार के संचालन हेतु जोनवार व्यापारिक सहयोगी के चयन का निर्णय लेते हुए निविदा आमंत्रित की गयी है, जिसके खोलने की तिथि 15-11-2016 को अपरान्ह् 3.30 बजे उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, 742, जवाहर भवन, लखनऊ में निर्धारित है। कार्य की महत्ता एवं पारदर्शिता के दृष्टिगत उक्त निविदा प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, (उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप अनुभाग-3) उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1- विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग (उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप अनुभाग-3) — अध्यक्ष
2- अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, — सदस्य/संयोजक
3- अनु सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप अनुभाग-3)
4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 — सदस्य

कुमार अरविन्द सिंह देव
प्रमुख सचिव।

सख्या-07/2016/842(1)/84-3-16तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- समिति के समस्त सदस्यगण।
4- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1/2
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अशोक कुमार मिश्र
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in